रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04102022-239337
CG-DL-E-04102022-239337

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4470]	नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 4, 2022/आश्विन 12, 1944
No. 4470]	NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 4, 2022/ASVINA 12, 1944

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अक्तूबर, 2022

का.आ. 4678(अ).—विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) व्यष्टियों और संगमों के कतिपय विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के अधिक प्रभावी निवारण करने और आतंकवाद संबंधी क्रियाकलापों और उससे उपाबद्ध विषयों से निपटने के लिए अधिनियमित किया गया है ;

और उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) का खंड (क) केन्द्रीय सरकार को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में किसी व्यष्टि के नाम को, यदि उसका यह विश्वास है कि वह आतंकवाद में सम्मिलित है, अधिसूचित करने के लिए सशक्त करता है ;

और बिलाल अहमद बेग @ बाबर पुत्र मोहम्मद युसूफ बेग, जो मूलतः बेग मोहल्ला, आलूचीबाग, श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर से संबंध रखता है, इस समय लोअर बाजार, रावलपिंडी, पाकिस्तान में रह रहा है, जम्मू-कश्मीर इस्लामिक फ्रंट (जेकेआइएफ) का प्रमुख है ;

और जम्मू-कश्मीर इस्लामिक फ्रंट (जेकेआइएफ) को उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची के अधीन क्रम संख्यांक 10 पर एक आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया गया है ;

और उक्त बिलाल अहमद बेग जम्मू-कश्मीर में हथियारों और आयुध की तस्करी में सम्मिलित है ;

और उक्त बिलाल अहमद बेग का कुख्यात संगठित अपराधी वर्ग से नजदीकी संबंध है तथा वह विदेश से कश्मीर में निधियों के अंतरण के लिए इन चैनलों का प्रयोग करता है ;

और उक्त बिलाल अहमद बेग जम्मू-कश्मीर में उग्रवादी क्रियाकलापों के वित्त पोषण और आतंकवादी संगठनों के लिए कश्मीरी युवकों की भर्ती में सम्मिलित है ;

और केन्द्रीय सरकार का यह विश्वास है कि बिलाल अहमद बेग @ बाबर आतंकवाद में सम्मिलित है और उक्त बिलाल अहमद बेग @ बाबर को उक्त अधिनियम के अधीन एक आतंकवादी के रूप में अधिसूचित किया जाना है ;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रद्त्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में, क्रम संख्या 46 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

"47. बिलाल अहमद बेग @ बाबर" ।

[फा. सं. 11034/09/2022/सीटी-I]

प्रवीण वशिष्ठ, अपर सचिव

टिप्पण : विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की चौथी अनुसूची का अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या का.आ. 4677(अ), तारीख 4 अक्तूबर, 2022 द्वारा किया गया था ।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th October, 2022

S.O. 4678(E).—Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And whereas, clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the said Act empowers the Central Government to notify the name of an individual in the Fourth Schedule to the said Act, if it believes that he is involved in terrorism;

And whereas, Bilal Ahmad Beigh @Babar, son of Mohammad Yusuf Beigh, belonging orignially to Beigh Mohalla, Aloochibagh, Srinagar, Jammu and Kashmir, presently residing at Lower Bazar, Rawalpindi, Pakistan, is Chief of Jammu and Kashmir Islamic Front (JKIF);

And whereas, Jammu and Kashmir Islamic Front (JKIF) is listed as a terrorist organisation under the First Schedule to the said Act at serial No.10;

And whereas, the said Bilal Ahmad Beigh is involved in smuggling of arms and ammunition into Jammu and Kashmir;

And whereas, the said Bilal Ahmad Beigh has close contacts with notorious underworld entities and he uses the channels to transfer funds from abroad to Kashmir;

And whereas, the said Bilal Ahmad Beigh is involved in financing of militancy activities in Jammu and Kashmir and recruitment of kashmiri youths for terrorist outfits;

And whereas, the Central Government believes that Bilal Ahmad Beigh @Babar is involved in terrorism and the said Bilal Ahmad Beigh @Babar is to be notified as a terrorist under the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following amendment in the Fourth Schedule to the said Act, namely:-

In the Fourth Schedule to the said Act, after serial number 46 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

"47. Bilal Ahmad Beigh @Babar".

[F. No. 11034/09/2022/CT-I]

PRAVEEN VASHISTA, Addl. Secy.

Note : The Fourth Schedule to the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 was last amended vide the notification number S.O. 4677(E), dated the 4th October, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA